

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1.श्री मनोजकुमार पिता मदनलाल दक निवासी आजादपुरा तह. बड़ीसादड़ी

वादी

||बनाम||

- 1.श्री मोहम्मद शराफत पिता शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी तह.बड़ीसादड़ी
- 2.श्रीमति नजमा पिता शरीफ मोहम्मद जी पत्नि रोशन अली मुसलमान नि बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी हाल रेलमंगरा
- 3.श्रीमति सकीला उर्फ शकीलाबानु पिता एजाज मोहम्मद जी पत्नि मो.फिरदोस मुसलमान निवासी तहसील बड़ीसादड़ी हाल मल्लातलाई उदयपुर
- 4.श्री मोहम्मद मुतिब उर्फ मुजीब पिता एजाज मोहम्मद मुसलमान नि.तहसील बड़ीसादड़ी
- 5.श्री मोहम्मद इरफान पिता एजाज मोहम्मद मुसलमान नि.तहसील बड़ीसादड़ी
- 6.राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 48/2019 (2019/00162) वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.वादी के तहत यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा अनुसार मौजा बड़ीसादड़ी का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैं।

1. श्री मनोजकुमार पिता मदनलाल दक निवासी बड़ीसादड़ी के रहेगी।

आ. न.	रकबा	लगान	ग्राम
2043/1	0.22	3.52	बड़ीसादड़ी

2. मोहम्मद मुजिब,मोहम्मद इरफान,सकीला बानु पिता एजाजमोहम्मद मुसलमान नि.बड़ीसादड़ी सा. देह के रहेगी।

आ. न.	रकबा	लगान	ग्राम
2043/2	0.14	2-24	बड़ीसादड़ी

3. मोहम्मद शराफत,नजमा पिता शरीफ मोहम्मद साकिन देह के रहेगी।

आ. न.	रकबा	लगान	ग्राम
2043/3	0.12	1-92	बड़ीसादड़ी
2043/4	0.24	3-84	बड़ीसादड़ी
योग 2	0.36	5-76	

4. श्री मोहम्मद मुजिब,मो.इरफान,सकीला बानु पिता एजाज मोहम्मद 1/2,मो.शराफत,नजमा पिता शरीफ मो.1/2 मुसलमान सा. देह बड़ीसादड़ी के रहेगी।

आ. न.	रकबा	लगान	ग्राम
2043/5	0.01	आ.चा. 0.16	बड़ीसादड़ी
2043/6	0.02 रास्ता	रास्ता 0-32	बड़ीसादड़ी

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(बिन्दुबाला राजावत)RAS

उपखण्ड अधिकारी

बड़ीसादड़ी

